न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65 / 2022

ईश्वरलाल पुत्र फुलचन्द, उम्र 54 वर्ष, जाति नायक, निवासी जोशी कॉलोनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

——आवेदक

बनाम

1. रामसिंह राजावत, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. लीलूराम पुत्र भागीरथ, उम्र 40 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. अशोक पुत्र गेदाराम
4. कमला पुत्री भागीरथ
5. गेंदा पुत्री गंगुराम (फौत)
   5 / 1 सुरेश पुत्र गेंदा
   5 / 2 अशोक पुत्र गेंदा
6. पूर्णमल पुत्र भागीरथ
7. पार्वती पुत्री जग्गुराम
8. बनवारी पुत्र भोलाराम
9. ब्रमृजीत पुत्र गंगुराम
10. बिड़दी पुत्री गंगु (फौत)
    10 / 1 रामसिह पुत्र बिड़दी
11. भोली पुत्री भागीरथ
12. मिश्री पुत्री जग्गु
13. सावित्री पुत्री जग्गु
14. राजू पुत्री भागीरथ (फौत)
    14 / 1 अशोक पत्नी राजू
15. रामस्वरूप पुत्र जगुराम
16. रामावतार पुत्र गंगुराम
17. कैलाश पत्रु जग्गुराम
18. सज्जना पुत्री भोलाराम
19. शैतान पुत्र भोलाराम (फौत)
    19 / 1 विमला पुत्री शैतान
    19 / 2 रवि पुत्री शैतान
    19 / 3 अर्दिश पुत्र शैतान
    19 / 4 गुड्डू पुत्री शैतान
20. सन्तोष पुत्री भागीरथ
21. संज्या पुत्री भोलाराम
    समस्त जातिगण मेघवाल, निवासी जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)
22. तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

जिला कलक्टर झुन्झुनू

— —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0एक्ट 1955 बाबत प्रार्थना संख्या 304/2021 प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तारीख पेशी 07.03.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री अरविन्द सैनी, अभिभाषक— अनावेदकगण सं0 2 व 14/1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 1 व 22 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 9 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
5. अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 8, 10 लगायत 14, 15 लगायत 21 की तलबी आवश्यक नही होने से बन्द की गई।

<u>आदेश</u>

दिनांक 23.11.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि दावा उनवानी ईश्वरलाल बनाम अशोक आदि मु0न0 63/2021 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 07.04.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णित किया गया जिसमें दिनांक 07.05.2021 को अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त उनवानी दावा की बाबत अनावेदक सं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत में पेश किया गया जो लम्बित है। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 07.03.2022 नियत की गई है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 में अनावेदक सं0 9 व 17 ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 को पेश किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी 07.02.2022 दी गई। उक्त तारीख पेशी पर आगामी तारीख पेशी 11.02.2022 तथा पुनः 14.02.2022 व पुनः 18.02.2022 दी गई है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में कम समयावधि की तारीख पेशी अनावेदक सं0 9 व 17 के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 07.03.2022 पर सुनवाई किये जाने का बार—बार निवेदन करने के बावजूद अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदक की कोई सुनवाई नही की जा रही है तथा प्रकरण में शीघ्रता शीघ्र आवेदक को बिना सुनवाई का मौका दिये अनावेदक सं0 9 व 17 के कहे अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू है। गत पेशी दिनाक 14.02.2022 को अनावेदक सं0 9 व 17 ने आवेदक को ऐलानिया धमकी दी कि हमारी अनावेदक सं0 1 से बात हो गई है। हम हमारी मर्जी के अनुसार ही प्रकरण मे आगामी कार्यवाही करवायेगें। आप कुछ नही कर सकते। इस प्रकार आवेदक को अदेंशा है कि प्रकरण में आवेदक को बिना सुनवाई का मौका दिये आवेदक के विरूद्ध अनुचित निर्णय पारित किया जा सकता है जिससे न्याय के मूल भूल सिद्धान्तों की अवहेलना होगी व आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा। इस कारण आवेदक की ओर से आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तारीख पेशी 07.03.2022 को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी/नवलगढ़ की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने पत्रांक राजस्व/22/151 दिनांक 04.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 आंशिक स्वीकार है। दिनांक 07.02.2022 को प्रा0प0 शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 11.02. 2022, 14.02.2022 व 18.02.2022 तय की गई। मद सं0 4 मे वर्णित कथन झूठे एवं मनगढन्त अंकित है। प्रकरण मे प्रा0प0 शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाकर तारीख पेशी 07.03.2022 के बजाय 11.02.2022 तय की गई है। मद संख्या 5 प्रार्थी स्वयं साबित करे। मद संख्या 6, 7 व 8 कानूनी है। श्रीमान्‌जी द्वारा उक्त प्रा0प0 अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दावा उनवानी ईश्वरलाल बनाम अशोक आदि मु0न0 63/2021 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 07.04.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णित किया गया जिसमें दिनांक 07.05.2021 को अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त उनवानी दावा की बाबत अनावेदक सं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत में पेश किया गया जो लम्बित है। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 07.03.2022 नियत की गई है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 में अनावेदक सं0 9 व 17 ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 को पेश किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी 07.02.2022 दी गई। उक्त तारीख पेशी पर आगामी तारीख पेशी 11.02. 2022 तथा पुनः 14.02.2022 व पुनः 18.02.2022 दी गई है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में कम समयावधि की तारीख पेशी अनावेदक सं0 9 व 17 के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 07.03.2022 पर सुनवाई किये जाने का बार–बार निवेदन करने के बावजूद अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदक की कोई सुनवाई नही की जा रही है तथा प्रकरण में शीघ्रता शीघ्र आवेदक को बिना सुनवाई का मौका दिये अनावेदक सं0 9 व 17 के कहे अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू है। गत पेशी दिनांक 14.02.2022 को अनावेदक सं0 9 व 17 ने आवेदक को ऐलानिया धमकी दी कि हमारी अनावेदक सं0 1 से बात हो गई है। हम हमारी मर्जी के अनुसार ही प्रकरण मे आगामी कार्यवाही करवायेगें। आप कुछ नही कर सकते। इस प्रकार आवेदक को अदेंशा है कि प्रकरण में आवेदक को बिना सुनवाई का मौका दिये आवेदक के विरूद्ध अनुचित निर्णय पारित किया जा सकता है जिससे न्याय के मूल भूल सिद्धान्तों की अवहेलना होगी व आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा। इस कारण आवेदक की ओर से आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तारीख पेशी 07.03.2022 को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी/नवलगढ़ की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

अप्रार्थी सं0 9 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित व अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 8, 10 लगायत 14, 15 लगायत 21 की तलबी आवश्यक नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वकील अप्रार्थी सं0 2 व 14/1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी द्वारा लगाये सारे आरोप झूठे व गलत है। प्रार्थी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे भी मुकदमा स्थानान्तरकरण को लेकर गया है जहां इनका प्रार्थना पत्र खारीज हो चुका है। प्रकरण मे न्याय मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे एवं साथ ही अदालत मातहत को निर्देश दिये जावें कि वे अपने यहां दर्ज प्रकरण मे 15 दिवस मे आवश्यक रूप से निर्णय पारित करे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1, व 22 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी पर कोई विशिष्ट आरोप नही लगाये है। प्रकरण मे छोटी–छोटी तारीखे देना कोई गलत बात नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी मे विचाराधीन प्रार्थना संख्या 304/2021 प्रार्थना पत्र आदेश 9 व नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 उनवानी लीलूराम बनाम ईश्वरलाल वगैरह का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण मे अन्तिम निर्णय किये जाने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 14.11.2022 पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं